सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन – 2009–10

प्रस्तावना

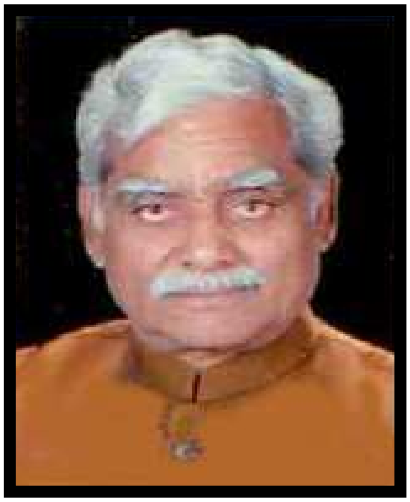

73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गो तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। अब गाँव के विकास की जवाबदेही पंचायतों के पास है। आमजनों को घर बैठे गाँव में उचित न्याय प्राप्त हो, इस हेतु ग्राम कचहरी का भी गठन किया गया है।

सत्ता के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप कार्यों एवं दायित्वों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 में पंचायती राज विभाग के रूप से एक नया विभाग का गठन किया गया है।

विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों एवं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से किया जा सके, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नियत

(प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्ते तथा अनु० जाति/अनु० जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला सदस्य, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, को विशेष मानदेय स्वीकृत किया गया है।

वर्ष 2009–10 में इस विभाग द्वारा किए गये महत्वपूर्ण कार्यों को वार्षिक प्रतिवेदन में संकलित करने का प्रयास किया गया है। प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सार्थक प्रयास कर अधिक से अधिक उपलब्धियाँ प्राप्त की जा सकें।

शुभकामनाओं सहित,

(हरि प्रसाद साह)

मंत्री

पंचायती राज विभाग

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य विवरण	1
2.	बी0 आर0 जी0 एफ0	2
3.	बारहवाँ वित्त आयोग	7
4.	ग्राम कचहरी के सरपंच/पंच/न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव का प्रशिक्षण	8
5.	ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी का सुदृढ़ीकरण	9
6.	विश्व बैंक सहायता से पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	10
7.	यू0एन0डी0पी0 प्रोजेक्ट	12
8.	ग्राम सभा वर्ष	13
9.	पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान कार्यक्रम	14
10.	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	15
11.	शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमान चित्रण	15
12.	नये कानून	16
13.	पंचायत राज टास्क फोर्स	16
14.	नयी नियुक्तियाँ	16
15.	प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ	17
16.	जिला परिषद् को अनुदान	19

17.	पंचायत उप–चुनाव, 2009 एवं 2010	19
18.	सूचना का अधिकार	20
19.	जन–शिकायत से संबंधित आवेदन	21
20.	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का वेतन का भुगतान	21
21.	बजट एवं लेखा का संधारण	22
22.	डाटावेस का निर्माण	23
23.	E-PRIs प्रोजेक्ट	23

पंचायती राज विभाग, बिहार
वार्षिक प्रतिवेदन

सामान्य विवरण

महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों को महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गये हैं। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ससमय त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन के फलस्वरूप वर्त्तमान में 38 जिला परिषदें, 531 पंचायत समितियाँ, 8463 ग्राम पंचायतें एवं 8463 ग्राम कचहरियाँ कार्यरत हैं (परिशिष्ट–1)।

पंचायती राज विभाग में योजना मुख्य शीर्ष–2515, 4515 एवं गैर योजना मुख्य शीर्ष–2515, 2015 एवं 3451 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

वर्ष 2009–10 में गैर योजना मद में मुख्य शीर्ष–2515 के अन्तर्गत (अनुपूरक / पुनर्विनियोग सहित) 53590.10 लाख रुपये (पाँच अरब पैतीस करोड़ नब्बे लाख दस हजार रूपये) का उपबंध है। मुख्य शीर्ष 2015 के अन्तर्गत (अनुपूरक / पुनर्विनियोग सहित) 712.23 लाख रुपये (सात करोड़ बारह लाख तेइस हजार रूपये) का उपबंध है। मुख्य शीर्ष 3451 के अन्तर्गत (अनुपूरक / पुनर्विनियोग सहित) 41.62 लाख रुपये (एकतालीस लाख बासठ हजार रूपये) का उपबंध है।

योजना मुख्य शीर्ष 2515 के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में 76131.00 लाख रुपये (सात अरब एकसठ करोड़ एकतीस लाख रूपये) का योजना उद्व्यय एवं इतनी ही राशि का वजट उपबंध है। (विवरणी परिशिष्ट – 2 एवं 3)।

2. बी० आर० जी० एफ०

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम (बी० आर० जी० एफ०) का मूल उद्वेश्य विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत सिवान जिला को छोड़कर राज्य के 36 जिले (जहानाबाद एवं अरवल संयुक्त रूप से) शामिल हैं।

बी० आर० जी० एफ० कार्यक्रम के दो घटक हैं : (i) विकास / अनावद्ध निधि (ii) क्षमता निर्माण निधि।

(i) **अनावद्ध निधि** :–

अनावद्ध निधि का उद्वेश्य क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। इसके

अंतर्गत जिलो में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों द्वारा सहभागिता पूर्ण तरीके से तैयार की गई योजनाओं को समन्वित कर प्रत्येक जिला के लिए जिला योजना तैयार की जानी है। इस जिला योजना पर संबंधित जिला योजना समिति एवं राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरांत भारत सरकार से प्राप्त विकास अनुदान को जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों को उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

विकास अनुदान का वितरण प्रत्येक जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों को उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2007–08 में जिले की पंचायत घटक की राशि का वितरण त्रिस्तरीय पंचायतों यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के बीच 92: 6: 2 के अनुपात में किया गया था। परन्तु जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के सदस्यों की मांगों तथा बी० आर० जी० एफ० निधि के युक्तिसंगत ढंग से बँटवारे के प्रश्न को दृष्टि पथ में रखते हुए वर्ष 2008–09 से प्रत्येक जिले की पंचायत घटक की राशि में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के बीच क्रमशः 70: 20: 10 के अनुपात में वितरित करने का निर्णय लिया गया है।

कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 की वार्षिक जिला योजनाओं के आलोक में 37 जिलों की त्रिस्तरीय पंचातयों एवं नगर निकायों को क्रमशः 602.55 करोड़, 357.178 करोड़ एवं 460.72 करोड़ रूपये उपलब्ध करा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंत तक वर्ष 2009–10 की वार्षिक जिला योजनाओं के लिए द्वितीय एवं अंतिम किस्त के रूप में 142.27

करोड़ रूपये की शेष राशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों को उपलब्ध करायी जाएगी। वर्ष 2010–11 का वार्षिक जिला योजना जिलों से प्राप्त हो रहा है, जिसे शीध्र ही मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति से अनुमोदनोपरान्त पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि परियोजना **के तर्ज पर पहली बार सीवान जिले को** भी जिला योजना के आधार पर 15.00 करोड़ रू० का विकास अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

बी० आर० जी० एफ० कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गई जिला योजनाओं के अंतर्गत आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं समाज कल्याण से संबंधित सभी प्रक्षेत्रों की योजनाएँ शामिल है। सरकार द्वारा की गई पहल से क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगें एवं पिछड़े जिलों के गरीबी निवारण में मदद मिलेगी। वर्ष 2010–11 में अनाबद्ध अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तरालों को भरने के लिए 64069.00 लाख रुपये (छः अरब चालीस करोड़ उनहत्तर लाख रूपये) का उद्व्यय कर्णांकित है।

(ii) **क्षमतावर्द्धन (Capacity Building)**

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम अन्तर्गत क्षमता वर्द्धन घटक के तहत जिला स्तरीय रिसोर्स परसन का 60 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य जिलों में सम्पन्न हो गया है। जिला रिसोर्स परसन के प्रशिक्षण हेतु कुल 7,63,02,440.00 रू० (सात करोड़ तिरेसठ लाख दो हजार चार सौ चालीस रूपये) का आवंटन सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

मार्च, 2010 के तृतीय सप्ताह से ये जिला रिसोर्स परसन तीनों स्तर के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर होगा और इस प्रशिक्षण पर 1844.00 लाख रू० (अठारह करोड़ चौवालीस लाख रूपये) का व्यय अनुमानित है। प्रशिक्षण हेतु राशि सभी जिलों को उपलब्ध करायी जा रही है। प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल मुद्रित कराया जा रहा है।

सीवान जिला, जिसे भारत सरकार द्वारा बी0आर0जी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित नहीं किया गया है, पहली बार पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमतावर्द्धन हेतु जिला स्तरीय रिसोर्स परसन का 60 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न कराया गया है। इस हेतु 28.25 लाख रू० उपलब्ध कराये गये है। जिला रिसोर्स परसन तीनों स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत राज संस्थाओं के कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे, जो प्रखण्ड स्तर पर होगा। इस प्रशिक्षण पर 63.75 लाख रू० सीवान जिला को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीवान जिला के प्रखण्डों में आई०टी० सेल के निर्माण हेतु 50,000.00 रू० की दर से कुल 8.00 लाख रू० उपलब्ध कराये जा रहे है।

<u>हेल्पलाईन</u> :–

बी०आर०जी०एफ० कार्यक्रम के क्षमतावर्द्धन धटक अन्तर्गत सूचना का त्वरित चैनल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर 'हेल्पलाईन' की स्थापना की जा रही है। इसके स्थापना से जनमानस को पंचायती राज के संबंध में शीध्र सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

<u>सैटेलाईट आधारित प्रशिक्षण पद्वति</u> :–

बी०आर०जी०एफ० कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा पंचायत समिति स्तर पर सैटेलाईट आधारित प्रशिक्षण पद्वति की स्थापना की जा रही है।

योजना का मूल उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों को पंचायत समिति स्तर पर बड़ी संख्या में प्रशिक्षण (श्रव्य–दृश्य माध्यम से) दिया जाना है।

<u>प्लानप्लस सॉफ्टवेयर पर कार्यशाला</u> :–

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास अनुदान घटक के तहत वार्षिक जिला योजना की तैयारी प्लानप्लस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा रहा है। जिला योजना सूचना तथा स्वीकृति की प्रक्रियाओं को आई0टी0 के माध्यम से सरल तथा सुदृढ़ करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा प्लानप्लस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। इसके अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों द्वारा योजना बनाने एवं जिला योजना समिति के स्तर पर योजनाओं के समेकन तथा स्वीकृति की प्रक्रियाओं को कम्प्यूटर के माध्यम से ऑन लाईन कराने की व्यवस्था है। राज्य में प्लानप्लस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला योजना से संबंधित आँकड़ों को ऑन लाईन करना प्रारंभ कर दिया गया है।

वर्ष 2010–11 में क्षमतावृद्धि हेतु 3600.00 लाख रुपये (छतीस करोड़ रूपये) का उद्व्यय कर्णांकित है।

3. बारहवाँ वित्त आयोग

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक प्रत्येक वर्ष भारत सरकार से 324.80 करोड़ रुपये प्राप्त होने हैं। बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2009–10 में कुल 324.80 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है। यह राशि पंचायत राज संस्थाओं को दो समान किस्तों में स्वीकृत की गयी हैं (जिलावार विवरणी परिशिष्ट–4 पर)।

बारहवाँ वित्त आयोग की राशि से निम्नांकित मदों में व्यय का प्रावधान किया गया है :–

(क) पंचायती राज संस्थाओं को दिये गये अनुदान का उपयोग पंचायतों द्वारा जलापूर्त्ति और स्वच्छता के संदर्भ में की गई सेवा को सुधारने में प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जलापूर्त्ति तथा स्वच्छता संबंधी परिसम्पत्तियों को अपने अधिकार में लेने के उपरान्त उनके रख–रखाव और नवीकरण के साथ–साथ उनके प्रचालन एवं रख–रखाव लागत हेतु अनुदान राशि का उपयोग किया जा सकता है।

(ख) जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों द्वारा इस राशि का उपयोग नागरिक सेवाओं के संधारण (Maintenance of Civic Services) यथा प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, गलियों में रोशनी की व्यवस्था, श्मशानों/कब्रगाहों का संरक्षण/संधारण के लिए भी किया जा सकता है।

(ग) जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों द्वारा इस राशि का

उपयोग अपनी परिसम्पत्तियों यथा हाट, बाजार, सैरात, मेला एवं भवनों के जीर्णोद्धार एवं रख–रखाव पर भी किया जा सकता है।

(घ) ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों द्वारा ऊपर उप कंडिका – (ख) एवं (ग) में निर्दिष्ट मदों की अपेक्षा उप कंडिका–(क) में निर्दिष्ट मदों पर अनुदान राशि के व्यय को प्राथमिकता दी जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान राशि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

योजना के अंतर्गत कर्णांकित तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2010–11 में ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु 177.00 करोड़ रु० उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

4. <u>ग्राम कचहरी के सरपंच/पंच/न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव का प्रशिक्षण</u> :–

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरी के गठन का मुख्य उद्देश्य आमजनों को घर बैठे उचित न्याय दिलवाना है। इसमें ग्राम कचहरी के सरपंच, पंच, न्यायमित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव की अहम भूमिका है। ग्राम कचहरी के सरपंचों, पंचों, न्याय मित्रों एवं ग्राम कचहरी सचिवों को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में उल्लिखित सुसंगत धाराओं एवं ग्राम कचहरी द्वारा संचालित किये जानेवाले वादों एवं उसकी प्रक्रिया आदि की जानकारी रहना आवश्यक है। इन्हें अपने कर्त्तव्य निर्वहन में सहूलियत हो, इस हेतु उनके क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।

वर्ष 2009–10 में ग्राम कचहरियों के सरपंचों/पंचों/न्यायमित्र/ग्राम कचहरी सचिव के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस हेतु 99.80 लाख रुपये (निन्यानबे लाख अस्सी हजार रूपये) की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. <u>ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी का सुदृढ़ीकरण</u>

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में ''ग्राम कचहरी और उसकी न्यायपीठों की स्थापना, शक्तियाँ, कर्त्तव्य और प्रक्रिया'' से संबंधित प्रावधानित धारा–92–122 (अध्याय–(vi)) में ग्राम कचहरी से संबंधित दाण्डिक एवं सिविल अधिकारिता संबंधी मामले का विचारण ग्राम कचहरी न्यायपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

अधिनियम की धारा–106 एवं 107 के तहत दाण्डिक अधिकारिता दी गई है तथा धारा–110 के तहत सिविल मामलों की अधिकारिता दी गई है। ग्राम कचहरी 10 हजार से कम सम्पत्ति वाले सिविल मुकदमें की सुनवाई कर सकता है, जो संविदा, चल सम्पत्ति, लगान की वसूली, चल सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने, पशु अतिचार, बाँट–बंटवारा के सभी मामले सिवाय उन वादों के, जहाँ विधि का जटिल प्रश्न या टाईटिल अन्तर्ग्रस्त हो।

ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी में आधारभूत सुविधा का अभाव है। वर्ष 2009–10 में ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों के लिए उपस्कर हेतु 846.30 लाख रुपये (आठ करोड़ छियालीस लाख तीस हजार रूपये) स्वीकृत किये गये हैं।

पहली बार वैसे ग्राम कचहरियों, जिनका अपना भवन नहीं है, उन्हें अधिकतम 500.00 रु० (पाँच सौ रु०) प्रति ग्राम कचहरी प्रतिमाह किराया पर भवन हेतु राशि आवंटित की गई है।

वर्ष 2010–11 में भी ग्राम कचहरियों के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

6. विश्व बैंक सहायता से पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

विश्व बैंक द्वारा पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ीकरण हेतु 'बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी' प्रक्रियारत है, जो पाँच वर्षो की अवधि में 120 मिलियन डालर (लगभग 600 करोड़ रूपये) ऋण से विविध कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा।

नालंदा जिले में सभी 53 जिला रिसोर्स पर्सन का विश्व बैंक प्रशिक्षकों के माध्यम से पायलट प्रशिक्षण एवं वर्क–शॉप कराया गया है।

बिहार पंचायत राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु पंचायती राज संस्थानों के क्षमतावर्द्धन, जिम्मेवारियों का कुशल निर्वहन तथा सरकार के विभिन्न परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक द्वारा प्राप्त होनेवाली राशि से छः जिलों – सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पटना, नालन्दा, भोजपुर में बहुद्देशीय पंचायत भवन निर्माण, पंचायती राज संस्थानों को अनाबद्ध राशि आपूर्त्ति, प्रबुद्ध प्रशिक्षण तथा कुशल प्रशासन एवं नियंत्रण के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

ऋण राशि के उपयुक्त प्रयोग निमित, इसके प्राप्त होने के पूर्व, जापानी पी0एच0आर0डी0 ग्रान्ट द्वारा निम्नांकित ग्यारह विषयों पर अध्ययन दल द्वारा अध्ययन तथा पायलट द्वारा प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तैयार कर समर्पित किये जायेंगे, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है :–

1. एथनौग्राफिक अध्ययन

2. (क) ग्राम पंचायतों को प्रभावित करने वाले नीति, नियामक एवं प्रशासनिक परिवेश का अध्ययन

   (ख) पंचायत भवन परिरूप आगणन

3. मानव संसाधन प्रबंधन एवं क्षमताबर्द्धन संस्था के परामर्शी

4. आशाजनक क्षमतावर्द्धन सेवा प्रदाता की पहचान तथा कार्य पद्धति का अध्ययन

5. पंचायती राज विभाग, वित्त विभाग के क्षमतावर्द्धन हेतु कार्य नीति तथा बिहार ग्राम स्वराज सोसाईटी का विस्तारीकरण

6. परिवेश निर्धारण पर अध्ययन

7. संचार कार्यक्रम पर अध्ययन

8. स्थानीय शासन के विशिष्टियों के मापन एवं समझने हेतु अध्ययन

9. कुशल शासन पंचायत पारितोषिक हेतु प्रतिस्पर्द्धात्मक चयन तंत्र के रूपांकण हेतु अध्ययन

10. स्थानीय शासन का वित्त

11. पंचायत राज सशक्तीकरण प्रक्रिया हेतु अनुश्रवण तथा मुल्यांकण परिरूपण

विश्व बैंक के सहयोग से बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना हेतु कई आधारभूत एवं नीतिगत 11 (ग्यारह) अध्ययनों का कार्यान्वयन किया जा रहा है, इसके लिए परामर्शियों का चयन कर लिया गया है। साथ ही साथ प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

पहली बार बिहार पंचायत सुदृढीकरण हेतु बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी का गठन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधन ईकाई का गठन किया जाएगा, जो सोसाईटी के कार्य–कलापों गति प्रदान करेगा।

7. यू० एन० डी० पी० प्रोजेक्ट – स्थानीय स्वशासन के लिए क्षमता निर्माण

UNDP द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से Capacity Development for Local Governance के उद्देश्य से निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं कर्मियों को क्षमतावृद्धि हेतु 2008–12 की अवधि में प्रति वर्ष अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में यूनाईटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 के लिए 28.00 लाख रुपये (अटठाईस लाख रूपये) की राशि प्राप्त हुई है। इसमें से 10.00 लाख रुपये (दस लाख रूपये) बिपार्ड में पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र के सुदृढ़ीकरण के लिए दिया गया है।

प्रथम चरण में 18.00 लाख रुपये (अठारह लाख रूपये) निर्वाचित पंचायत

प्रतिनिधि (पंचायत समिति के प्रमुखों) को समीपवर्त्ती राज्यों यथा – पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु 5 दिवसीय अन्तर्राज्य भ्रमण के लिए कर्णांकित की गई है। इस हेतु 38 जिलों से 322 प्रमुखों को अन्तर्राज्य भ्रमण के लिए नामित किया गया है। 9 जिले के पंचायत समिति प्रमुखों द्वारा हिब्रेबाजार (महाराष्ट्र) का भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया है। यह ग्राम पंचायत मॉडल पंचायत के रूप में विकसित है।

वर्ष 2009–10 में UNDP-CDLG परियोजना में मुख्यतः निम्नलिखित गतिविधियॉ प्रस्तावित की गयी है :–

(1) चार कार्यशालायें हेतु प्रावधानित बजट राशि – 4.50 लाख

(2) दो अध्ययनरत हेतु प्रावधानित बजट राशि – 7.00 लाख

इसके अतिरिक्त प्रमंडल स्तरीय कार्यशालाओं का भी प्रावधान किया गया है, जिसके लिए 3.11 लाख का प्रावधान किया गया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज विभाग/संस्थाओं की क्षमता वर्द्धन हेतु विभिन्न गतिविधियों में तकनीकि सहयोग तथा क्षमता वर्द्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला/प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना आदि है, जिससे विभाग/संस्थाओं के कार्यक्षमता में गुणवता बनायी जा सके।

8. ग्राम सभा वर्ष

वर्ष 2009–10 को पंचायती राज के 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'ग्राम सभा का वर्ष' धोषित किया गया है। इस अवसर पर राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन 2 अक्टूबर 2009 को किया गया है। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह की पहली तारीख को ग्राम सभा का

आयोजन कराया जा रहा है। ग्राम सभा के प्रति सभी जनमानस को जागृत करने हेतु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जा रहा है।

9. पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान कार्यक्रम

पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान कार्यक्रम एक केन्द्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य निर्वाचित पंचायत महिला प्रतिनिधियों को राजनैतिक जागरूकता में वृद्धि कर महिला पंचायत नेताओं के रूप में अपनी समस्याओं को अभिव्यक्त करने एवं अपनी सशक्तिकरण हेतु एसोशिएशन का गठन करना है।

एसोशिएशन के माध्यम से निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को जिस समय आवश्यक हो, ज्ञान समर्थन, सूचना, निःशुल्क कानूनी सहायता, लेखा एवं रिकार्ड रखने में सहायता, योजना निर्माण एवं योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं क्षमता का विकास करना प्रमुख कार्य होगा। उक्त उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु निर्वाचित पंचायत महिला प्रतिनिधियों के एसोशिएशन (संगठन) का गठन कर लिया गया है, जिसका नाम ''शक्तिरूपा'' है। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव सहित कुल 15 पदधारक है। इन्हें तकनीकी ज्ञान सहायता उपलब्ध कराने हेतु विभाग में राज्य समर्थन सहायता उपलब्ध कराने हेतु विभाग में राज्य समर्थन केन्द्र की स्थापना की गयी है। राज्य समर्थन केन्द्र के संचालन हेतु चार कर्मियों की संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जा रही है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के जिला स्तरीय सम्मेलन हेतु 15 चयनित जिलो के लिए 17.65 लाख रुपया संबंधित जिलों को उपलब्ध कराया गया है।

10. त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए, त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच के दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही सभी सदस्यों को नियमित रूप से बैठक में भी भाग लेना होता है। अतएव उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्तों तथा अनु0जाति/अनु0 जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को विशेष मानदेय की स्वीकृति दी गई है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2009–10 में 9301.65 लाख रुपये (तिरानबे करोड़ एक लाख पैसठ हजार) स्वीकृत की जा रही हैं।

11. शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमानचित्रण

भारत के संविधान के ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा शक्ति प्रतिनिधायन कर पंचायत स्तर पर कार्य मानचित्रण वर्ष 2001 में किया गया। विभिन्न विभागों के साथ परामर्श कर प्रतिनिधायन अद्यतन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

12. नए कानून

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा – 13, 15, 38, 40, 65, 67, 91 एवं 93 में संशोधन कर दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात विहित रीति से चक्रानुक्रम में आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए है।

13. पंचायत राज टास्क फोर्स (Task Force on Panchayat Raj)

पंचायत राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन की सक्षम इकाई बनाने हेतु रचनात्मक सुझाव एवं आवश्यक अनुशंसा देने के लिए डा0 जार्ज मथ्यू, अध्यक्ष, Institute of Social Science, नई दिल्ली की अध्यक्षता में ''पंचायत राज टास्क फोर्स (Task Force on Panchayat Raj)'' का गठन किया गया है। टास्क फोर्स द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अपनी अंतरिम अनुशंसा राज्य सरकार को सौपने हेतु तैयार कर ली गयी है।

टास्क फोर्स की अवधि विस्तार एक वर्ष के लिए की गयी है।

14. नई नियुक्तियाँ

(क) एक लंबी अवधि के बाद गठित ग्राम कचहरी के संरचना सुदृढ़ीकरण हेतु ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के पदों पर नियोजन किया गया है। जिलों से प्राप्त सुचनानुसार ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के 8463 पदों के विरूद्ध क्रमशः 6744 (छः हजार सात सौ चौवालीस) एवं 7333 (सात हजार तीन सौ तैतीस) पदों पर नियोजन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है।

(ख) स्नातक एवं गैर–स्नातक पंचायत सचिवों की राज्यस्तरीय वरीयता सूची से कुल 17 (सतरह) पंचायत सचिवों को प्रोन्नति देकर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की गयी है।

15. (क) <u>प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ</u>

(1) सरकार द्वारा विभिन्न अवमाननावादों में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेशों के अनुपालन में विभागीय स्वीकृत्यादेश संखया 2610 दिनांक 20.08.98 में सृजित पंचायत सचिव के 531 अतिरिक्त पदो ंके विरूद्ध नियुक्ति हेतु 344 योग्य दलपतियों का चयन किया गया है।

उत्तरवर्ती बिहार में पहली बार बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं इसके तहत गठित नियमावली तथा पंचायत सचिवालय की वर्त्तमान अवधारणाओं की अपेक्षाओं के आलोक में नया पाठ्यक्रम तैयार कर चयनित पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है।

शेष पंचायतों में पंचायत सचिव की नियुक्ति नयी नियमावली के आधार पर की जायेगी।

(2) राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में लिपिक–सह–रोकड़पाल की संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रस्तावित है।

(ख) <u>पद सृजन</u>

(1) वर्ष 2007 में पंचायती राज विभाग के रूप में नये विभाग के गठन के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग, बिहार के लिए कुल 30 (तीस) राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मियों का पद सृजन किया गया है।

(2) मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 1757 दिनांक 30.07.05 के आलोक में पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा 'बिहार पंचायत सेवा नियमावली – 2010' का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद से प्रशिक्षण संस्थानों के व्याख्याता एवं प्राचार्य तथा 38 जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 32 में प्रत्येक पंचायत के लिए एक पंचायत सचिव का प्रवाधान किया गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा– II के अनुसार पंचायतों का पुर्नगठन किया गया। पंचायतों के पुर्नगठन के फलस्वरूप बिहार में पंचायतों की कुल संख्या– 8463 हो गई है।

वर्त्तमान कार्यरत कुल 8463 पंचायतों के विरूद्ध कुल 8440 पंचायत सचिव का पद पूर्व से सृजित है। मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के पश्चात राज्य के कार्यरत शेष 23 ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत सचिवों के 23 अतिरिक्त पदों का स्थायी रूप से सृजन विभागीय राज्यादेश संख्या 2239 दिनांक 28.05.09 द्वारा

किया गया है। इस प्रकार राज्य के सभी 8463 ग्राम पंचायतों के लिए 8463 पंचायत सचिव का पद उपलब्ध हो गया है।

16. <u>जिला परिषद् को अनुदान</u>

तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार कर राजस्व के शुद्ध संग्रहण के तीन प्रतिशत की समतुल्य राशि मैचिंग ग्रान्ट के रूप में उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2009—10 में राज्य के 38 जिला परिषदों को कुल 1073.59 लाख रूपये (दस करोड़ तेहत्तर लाख उनसठ हजार रूपये) स्वीकृत किया जा रहा है।

तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन/अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वर्ष 2009—10 के लिए राज्य के 38 जिला परिषदों में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को वेतनादि के भुगतान हेतु कुल 936.96 लाख रूपये (नौ करोड़ छतीस लाख छियानबे हजार रूपये) की स्वीकृति एवं आवंटन दिया गया है।

वर्ष 2010—11 में भी जिला परिषद् को मैचिंग ग्रान्ट हेतु राशि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

17. <u>पंचायत उप चुनाव, 2009</u>

राज्य के 25 जिलों में ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के कुल 37 पदों के लिए 09 जुलाई, 2009 को उप चुनाव सम्पन्न कराया गया। इस हेतु विभागीय ज्ञापांक 2584 दिनांक 17.06.2009 द्वारा अधिसूचना निर्गत की गयी थी।

पुनः राज्य के 22 जिलों में ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के कुल 53 पदों के लिए 20 दिसम्बर, 2009 को उप चुनाव सम्पन्न कराया गया। इस हेतु दिनांक 20.11.2009 को अधिसूचना निर्गत की गयी थी।

18. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का गठन दिनांक 15.06.2006 के प्रभाव से हुआ है। इस अधिनियम के तहत बिहार–सरकार द्वारा सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 गठित किया गया है जो 28.06.2006 से प्रभावी है।

इस अधिनियम एवं नियमावली के तहत पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय (मुख्यालय) एवं राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, पचांयत समिति एवं जिला परिषद के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार निम्नरूपेण पदनामित किए गए है :–

(1) विभागीय मुख्यालय स्तर पर :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – उप निदेशक (निर्वाचन) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – निदेशक, पंचायत राज, बिहार, पटना

(2) जिला परिषद स्तर पर :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – निदेशक, लेखा प्रशासन–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद

(3) पंचायत समिति स्तर पर :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी

(4) ग्राम पंचायत स्तर पर :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

19. जन शिकायत से संबंधित आवेदन

वर्ष 2009–10 में मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के माध्यम से 384 एवं मुख्य सचिव, बिहार, पटना के कोषांग से 44 यानि कुल 428 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें कुल 103 आवेदनों का निष्पादन हुआ है, शेष आवेदन, जिन पर जिला स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है, संबंधित जिलों को भेज कर उनके निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री के विकास यात्रा से संबंधित जन शिकायतों का शत–प्रतिशत निष्पादन कर दिया गया है।

20. प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के वेतनादि का भुगतान

वर्त्तमान में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के वेतनादि का भुगतान

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2010–11 से सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के वेतनादि का भुगतान की व्यवस्था पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। अब इनके वेतनादि का भुगतान गैर–योजना मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 0003–जिला पंचायत की स्थापना से विकलनीय होगा।

21. बजट एवं लेखा का संधारण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिये बजट एवं लेखा संधारण के संबंध में प्रपत्र प्राप्त हुए है। इस प्रपत्र के आधार पर बजट एवं लेखा नियमावली का गठन किया जा रहा है। इस प्रपत्र को पंचायत राज संस्थाओं द्वारा दिनांक 01.04.2010 से लागू करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। विहित प्रपत्र में लेखा संधारण हो, इसके लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार के साथ दिनांक 28.01.2010 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पंचायत राज संस्थाओं में होने वाले लेखा एवं वित्तीय प्रबंधन के सभी प्रशिक्षण संबंधी कार्यो एवं विभाग द्वारा इस संबंध में अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन हेतु एक सेवानिवृत उप महालेखाकार की सेवा ली जाय। इसके अलावे वित्त अथवा प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त एक पदाधिकारी की भी सेवा लेने का निर्णय बैठक में लिया गया है। प्रशिक्षण सामग्री के लिये एक बेसिक कोर्स मॉड्यूल का गठन प्रधान महालेखाकार के द्वारा कराकर भेजने पर सहमति दी गई है।

22. डाटावेस का निर्माण

एकादश वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त राशि में से पंचायतों के डाटा बेस निर्माण का कार्य हेतु कर्णांकित राशि 5,72,00,000.00 रुपये (पाँच करोड़ बहत्तर लाख रुपये) से पंचायती राज विभाग, 38 जिला परिषदों एवं लगभग 452 पंचायत समितियों एवं इसके ग्राम पचायतों में डाटा बेस निर्माण का कार्य कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेभलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेलट्रान), पटना को राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

23. E-PRIs प्रोजेक्ट

E-PRIs प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बिजिनेश प्रोसेस रिइंजीनियरिंग का अध्ययन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। डी०पी०आर० निक्सी के माध्यम से के०पी०एम०जी० द्वारा समर्पित किया जायेगा, तदनुसार E-PRIs के प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन किया जायेगा।

परिशिष्ट–1

राज्य – बिहार
विभाग – पंचायती राज विभाग

1	जिला परिषदों की कुल संख्या	38
2	पंचायत समितियों की कुल संख्या	531
3	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	8463
4	ग्राम कचहरियों की कुल संख्या	8463
5	ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या	115876
6	ग्राम पंचायत के मुखिया की कुल संख्या	8463
7	पंचायत समिति के सदस्यों की कुल संख्या	11566
8	जिला परिषद के सदस्यों की कुल संख्या	1162
9	ग्राम कचहरी के पंचों की कुल संख्या	115876
10	ग्राम पंचायत के सरपंचों की कुल संख्या	8463
11	ग्राम पंचायत सचिव की कुल संख्या	8463
12	ग्राम कचहरी न्याय मित्र की कुल संख्या	8463
14	ग्राम कचहरी सचिव की कुल संख्या	8463
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी की कुल संख्या	38
16	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की कुल संख्या	516

परिशिष्ट – 2
माँग संख्या – 16
योजना

क्रŒ	योजना का नाम	2009&10 में कर्णांकित राशि (लाख रुपये में)	2010&11 में कर्णांकित राशि (लाख रुपये में)
1.	ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि/न्यायमित्र/ग्राम कचहरी सचिव का प्रशिक्षण	259.48	0
2.	पंचायत राज संस्थाओं को अपनी उपलब्धियों एवं कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार	18.80	0
3.	ग्राम कचहरियों का सुदृढ़ीकरण	423.15	423.00
4.	ग्राम पंचायतों का सुदृढ़ीकरण	423.15	0
5.	टास्क फोर्स का गठन	24.50	4.00
6.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम – अनावद्ध निधि	60299.00	64069.00
7.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम (सीवान जिला के लिए) (राज्य निधि से वित्तीय सहायता)	1600.00	1600.00
8.	ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के निर्वात प्रतिनिधियों को भत्ता	9301.65	0
9.	वाह्य सम्पोषित परियोजना (विश्व बैंक सहायता)	750.00	1047.00
10.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम – क्षमता वर्द्धन	2816.00	3600.00
11.	ग्राम कचहरी भवन के लिए किराया	215.27	273.00
12.	पंचायत सरकार भवन का निर्माण	0	17700.00
कुल :–		**76131.00**	**88716.00**

परिशिष्ट – 3

गैर योजना

क्रम	मुख्यशीर्ष/कार्यक्रम	2009&10 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)	2010&11 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)
मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
1.	स्थापना (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय)	20910.10	23488.53
2.	बारहवाँ वित्त आयोग	32480.00	34000.00
3.	ग्रामीण सड़कें/भवनों का अनुरक्षण	200.00	100.00
मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन			
4.	स्थापना (राज्य निर्वाचन आयोग)	136.25	121.97
5.	ई० भी० एम० का क्रय/निर्वाचन	575.98	10000.00
मुख्य शीर्ष–3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाएँ			
6.	स्थापना	41.62	42.40
	कुल :–	**54343.95**	**57852.90**

वर्ष 2010–11 का कुल योग (योजना + गैर योजना)

= 88716.00 + 57852.90 = 146568.90 लाख रुपये।

परिशिष्ट–4

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2009–10 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि का आवंटन

क्रå संå	जिला का नाम	प्रखंडों की संख्या	पंचायतों की संख्या	कुल ग्रामीण जनसंख्या	ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित राशि	पंचायत समितियों के लिए आवंटित राशि	जिला परिषदों के लिए आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बक्सर	11	142	1273422	50138098	3339282	1113094	54590474
2.	रोहतास	19	246	2123942	86858958	5569593	1856531	94285082
3.	भोजपुर	14	228	1930730	80503424	5062935	1687645	87254004
4.	नालन्दा	20	249	2016899	87918213	5288895	1762965	94970074
5.	पटना	23	331	2757060	116871199	7229812	2409937	126510949
6.	कैमूर	11	151	1247299	53315864	3270780	1090260	57676905
7.	गया	24	332	2997479	117224285	7860261	2620087	127704632
8.	नवादा	14	187	1671253	66026931	4382511	1460837	71870279
9.	औरंगाबाद	11	203	1842998	71676294	4832876	1610959	78120129
10.	जहानाबाद	7	93	813227	32836923	2132517	710839	35680280
11.	अरवल	5	68	589476	24009793	1545777	515259	26070830
12.	सारण	20	330	2950064	116518114	7735925	2578642	126832681
13.	सिवान	16	293	2564860	103453962	6725808	2241936	112421706

14.	गोपालगंज	14	234	2022048	82621935	5302397	1767466	89691798
15.	मुजफ्फरपुर	16	387	3398361	136643970	8911490	2970497	148525957
16.	वैशाली	16	290	2531766	102394706	6639026	2213009	111246741
17.	पू0चम्पारण	27	410	3688687	144764930	9672809	3224270	157662008
18.	प0चम्पारण	18	315	2733907	111221836	7169098	2389699	120780634
19.	सीतामढ़ी	17	273	2529407	96392258	6632840	2210947	105236045
20.	शिवहर	5	53	494699	18713515	1297244	432415	20443175
21.	भागलपुर	16	242	1970745	85446617	5167866	1722622	92337105
22.	बांका	11	185	1552353	65320761	4070721	1356907	70748388
23.	मधुबनी	21	399	3450736	140880993	9048832	3016277	152946102
24.	समस्तीपुर	20	381	3271338	134525459	8578399	2859466	145963324
25.	दरभंगा	18	330	3028441	116518114	7941452	2647151	127106717
26.	सहरसा	10	153	1383015	54022035	3626667	1208889	58857591
27.	मधेपुरा	13	170	1458679	60024483	3825080	1275027	65124590
28.	सुपौल	11	181	1644370	63908420	4312016	1437339	69657775
29.	पूर्णिया	14	251	2321544	88624384	6087763	2029254	96741401
30.	अररिया	9	218	2026257	76972572	5313434	1771145	84057152
31.	किशनगंज	7	126	1167340	44488734	3061105	1020368	48570207

32.	कटिहार	16	238	2174361	84034276	5701806	1900602	91636685
33.	मुंगेर	9	101	819950	35661605	2150147	716716	38528467
34.	जमुई	10	153	1295552	54022035	3397314	1132438	58551786
35.	बेगुसराय	18	257	2241743	90742895	5878501	1959500	98580897
36.	खगड़िया	7	129	1204027	45547990	3157309	1052436	49757735
37.	लखीसराय	7	80	684485	28246816	1794919	598306	30640040
38.	शेखपुरा	6	54	444189	19066600	1164793	388264	20619657
कुल		**531**	**8463**	**74316709**	**2988160000**	**194880000**	**64960000**	**3248000000**

परिशिष्ट – 5

विवरणी

‘योजना मुख्य शीर्ष –2515–ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0113–पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना–4201–एकमुश्त प्रावधान‘‘ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में व्यय हेतु राशि का आवंटन।

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	आवंटित राशि (रू0में)
1.	उपविकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बक्सर।	107900000 (दस करोड़ उन्नासी लाख रू0)
2-	उपविकास विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, रोहतास	143100000 (चौदह करोड़ इक्कतीस लाख रू0)
3-	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,जिला परिषद, जिला परिषद, भोजपुर।	150000000 (पन्द्रह करोड़ रू0)
4-	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,जिला परिषद नालंदा।	125500000 (बारह करोड़ पच्चपन लाख रू0)
5-	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पटना	171800000 (सतरह करोड़ अठारह लाख रू0)
6-	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कैमुर।	114700000 (ग्यारह करोड़ सैतालीस लाख रू0)
7.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गया।	160700000 (सोलह करोड़ सात लाख रू0)

8.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा।	119800000 (ग्यारह करोड़ अनठानवे लाख रू0)
9.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, औरंगाबाद।	125200000 (बारह करोड़ बारह लाख रू0)
10.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जहानाबाद।	69685000 (छः करोड़ छियानवे लाख पिचासी हजार रू0)
11.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, अरवल।	44415000 (चार करोड़ चाबालीस लाख रू0)
12.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सारण।	144900000 (चौदह करोड़ उन्नचास लाख रू0)
13.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गोपालगंज।	125500000 (बारह करोड़ पचपन लाख रू0)
14.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर।	153300000 (पन्द्रह करोड़ सैतीस लाख रू0)
15.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, वैशाली।	134600000 (तेरह करोड़ छियालीस लाख रू0)
16.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पू0 चम्पारण।	159700000 (पन्द्रह करोड़ सनतानवे लाख रू0)

17.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, प० चम्पारण।	153600000 (पन्द्रह करोड़ छत्तीस लाख रू0)
18.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सितामढ़ी।	132800000 (तेरह करोड़ अठाईस लाख रू0)
19-	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, शिवहर।	85900000 (आठ करोड़ उनसठ लाख रू0)
20.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, भागलपुर।	130000000 (तेरह करोड़ रू0)
21-	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बांका।	119200000 (ग्यारह करोड़ बानवे लाख रू0)
22.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मधुबनी।	149300000 (चौदह करोड़ उन्नचालीस लाख रू0)
23.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, समस्तीपुर।	149600000 (चौदह करोड़ छियानवे लाख रू0)
24.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, दरभंगा।	143400000 (चौदह करोड़ सैतीस लाख रू0)
25.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सहरसा।	117400000 (ग्यारह करोड़ चौहत्तर लाख रू0)

26.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मधेपुरा।	131900000 (तेरह करोड़ उन्नीस लाख रू0)
27.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सुपौल।	115100000 (ग्यारह करोड़ एकावन लाख रू0)
28.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णिया।	134300000 (तेरह करोड़ एकावन लाख रू0)
29.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, अररिया।	126400000 (बारह करोड़ चौसठ लाख रू0)
30	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, किशनगंज।	108600000 (दस करोड़ छियासी लाख रू0)
31.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार।	135800000 (तेरह अनठावन लाख रू0)
32.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुंगेर।	100400000 (दस करोड़ चार लाख रू0)
33.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जमुई।	115300000 (ग्यारह करोड़ तिरपन लाख रू0)
34.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बेगुसराय।	124800000 (बारह करोड़ अड़तालीस लाख रू0)

35.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, खगड़िया।	105000000 (दस करोड़ पच्चास लाख रू0)
36.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, लखीसराय।	95500000 (नौ करोड़ पचपन लाख रू0)
37.	उपविकास–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, शेखपुरा।	87500000 (आठ करोड़ पिचहत्तर लाख रू0)
	कुल	**4607200000 (चार अरब साठ करोड़ बहत्तर लाख रू0)**